तृतीय झारखण्ड विधानसभा का नवम् सत्र

सत्र-विवरणिका

1. **सत्र का आहवान एवं सभा की बैठकें**

झारखण्ड विधानसभा के नवम् सत्र (मानसून) का आहवान दिनांक 30 जुलाई, 2012 को हुआ जिसमें दिनांक – 31 अगस्त, 03 सितम्बर, 04 सितम्बर, 05 सितम्बर एवं 06 सितम्बर, 2012 को सभा की कुल 05 बैठकें हुईं ।

2. **सत्र का आरम्भ**

झारखण्ड विधानसभा का नवम् सत्र (मानसून) का आरम्भ दिनांक – 31.08.2012 को 11.00 बजे पूर्वा0 में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ ।

3. **सभापति का मनोनयन**

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत् नवम् सत्र (मानसून) के लिए माननीय सदस्य – (1) श्री साईमन मरांडी (2) श्री फूलचन्द मण्डल (3) श्री रघुवर दास (4) श्री सरफराज अहमद एवं (5) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सभा के सभापति मनोनीत किये गये ।

4. **कार्यमंत्रणा समिति का गठन एव निर्णय**

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत् नवम् सत्र के लिए गठित कार्यमंत्रणा समिति के निम्नलिखित माननीय सदस्य नामित किये गये –

(1) श्री अर्जुन मुण्डा, मुख्यमंत्री (2) श्री सुदेश कुमार महतो, उप-मुख्यमंत्री (3) श्री हेमन्त सोरेन, उप-मुख्यमंत्री (4) श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्यमंत्री (5) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, नेता प्रतिपक्ष (6) श्री प्रदीप यादव एवं (7) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ।

विशेष आमंत्रित सदस्य

(1) श्री सरफराज अहमद (2) श्री रघुवर दास (3) श्री कमल किशोर भगत (4) रामचन्द्र बैठा (5) श्री अरविन्द कुमार सिंह (6) श्री बंधु तिर्की (7) श्रीमती सुधा चौधरी (8) श्री विनोद कुमार सिंह (9) श्री नलिन सोरेन एवं (10) श्री अरुप चटर्जी ।

दिनांक – 31.08.2012 को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिये गये –

(1) अनुपूरक बजट पर दिनांक – 03.09.2012 एवं दिनांक - 04.09.2012 (दो दिन) चर्चा होगी तथा दिनांक – 04.09.2012 को एतद् सम्बन्धी विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) दिनांक – 05.09.2012 को राज्य में सुखाड़, विस्थापन एवं पुनर्वास पर 2.00 बजे अप0 से तीन घंटे की चर्चा होगी।

दिनांक – 03.09.2012 को कार्य मंत्रणा समिति के उक्त निर्णय पर सभा की सहमति हुई।

5. **वित्तीय समितियों के गठन पर सहमति**

दिनांक – 03.09.2012 को श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वर्ष – 2012-13 के लिए गठित झारखण्ड विधानसभा की वित्तीय समितियों क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के गठन पर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सहमति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सर्वसम्मति से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

6. **अनुमत विधेयक**

दिनांक - 31 अगस्त, 2012 को गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की निम्नांकित विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई –

क्र0 सं0	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक - 2012	16.03.2012	9/2012
2.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक - 2012	30.03.2012	10/2012
3.	झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक - 2012	31.03.2012	11/2012
4.	झारखण्ड स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक - 2012	31.03.2012	12/2012
5.	झारखण्ड मनोरंजन कर विधेयक - 2012	25.04.2012	13/2012
6.	झारखण्ड विज्ञापन कर विधेयक – 2012	25.04.2012	14/2012
7.	साईं नाथ विश्वविद्यालय, झारखण्ड विधेयक – 2012	25.04.2012	15/2012
8.	झारखण्ड गृह रक्षक (संशोधन) विधेयक – 2012	30.04.2012	16/2012

7. **प्रश्नकाल**

इस मानसून सत्र में 95 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें सभा में कुल 10 प्रश्न उत्तरित तथा 85 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल 239 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें कुल 03 प्रश्न उत्तरित तथा 236 प्रश्न अनागत हुए ।

कुल 321 अनागत प्रश्नों में 293 प्रश्नों के लिखित उत्तर प्राप्त हुए।

इस सत्र में कुल 92 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत किये गये।

8. **शून्यकाल**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 49 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गई मानी गयीं ।

.

9. **ध्यानाकर्षण सूचना**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 20 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ स्वीकृत की गई जिनमें सरकार द्वारा कुल 04 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर सरकार द्वारा सभा में वक्तव्य दिया गया । शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएँ जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को को सौंपी गयी।

10. **सभा मेज पर कागजात रखा जाना**

दिनांक – 31.08.2012 को श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(2) के तहत् कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ए0टी0आर0) सभा पटल पर रखा गया ।

दिनांक – 04.09.2012 को श्री गोपाल कृष्ण पातर, मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा "झारखण्ड देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली, 2004, झारखण्ड मसालेदार देशी शराब बोतलबन्दी नियमावली, 2004, झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बन्दोवस्ती) नियमावली, 2009 एवं झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम नियमावली, 2011" की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

दिनांक – 05.09.2012 को सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304(6) के तहत् तृतीय झारखण्ड विधानसभा के अष्टम् (बजट) सत्र में प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित उत्तरों की संकलित प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

दिनांक – 06.09.2012 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन – 1,2 एवं 3 (सिविल एवं वाणिज्यिक, राजस्व प्राप्तियाँ तथा राज्य वित्त) झारखण्ड सरकार सभा पटल पर उपस्थापित किया गया।

दिनांक – 06.09.2012 को श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा झारखण्ड राज्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002 की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष – 2011-12 अवधि 01.04.2011 से 31.03.2012 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

11. **समिति का प्रतिवेदन सभा में रखा जाना**

दिनांक – 05.09.2012 को श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन, सभापति, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति द्वारा झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत् समिति के 24वें, 25वें एवं 26वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

समिति का दिनांक – 06.09.2012 को श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, सरकारी आश्वासन समिति द्वारा झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216 () के तहत् समिति के 15वें, 16वें तथा 18वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

12. **निवेदन**

इस सत्र में प्राप्त निवेदनों की कुल संख्या – 35 थीं जिन्हें नियम 263(1) के तहत् विभागों को भेजने पर सभा की सहमति हुई।

13. **वित्तीय कार्य**

दिनांक – 31.08.2012 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के 411 करोड़, 7 लाख, 15 हजार रुपये का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया। दिनांक – 31.08.2012 के 03.00 बजे अपराह्न तक अनुपूरक आय-व्ययक विवरणी पर संशोधन दिये जाने सम्बन्धी सूचना आसन द्वारा सदन को दी गयी।

दिनांक – 03.09.2012 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग'' से संबंधित मांग सभा में पेश की गई। पुकारे जाने के बावजूद श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0, श्री कृष्णानंद त्रिपाठी, स0वि0स0, श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स0वि0स0 द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक – 04.09.2012 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग'' से संबंधित मांग सभा में चर्चा के उपरांत सभा द्वारा स्वीकृत हुई। वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में सम्मिलित शेष विभागों की मांगों को बारी-बारी से स्वीकृति हेतु सभा के समक्ष रखा गया जो मुखबंद (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुआ।

14. **विधायी कार्य**

इस सत्र में पारित कुल विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार से है –

सभा में उपस्थापन एवं पारित होने की तिथि	विधेयक
04.09.2012	01. झारखण्ड विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2012 02. झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2012

15. **विशेष वाद-विवाद**

दिनांक – 31.08.2012 को सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक – 05.09.2012 को सुखाड़, विस्थापन एवं पुनर्वास पर विशेष चर्चा हुई।

16. **गैर सरकारी संकल्प**

दिनांक – 06.09.2012 को कुल 27 गैर सरकारी संकल्प लिए गये ।

17. **शोक प्रकाश**

दिनांक – 31.08.2012 को विगत् सत्र और इस सत्र के बीच दिवंगत राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों, कलाकारों यथा – स्व0 विलास राव देशमुख, शिवनाथ वर्मा, सत्यनारायण दुधानी, गोमेश्वरी मानकी, शंकर प्रसाद टेकरीवाल, महाराज प्रताप सिंह, शकील अहमद खान, राम चन्द्र यादव, दारा सिंह, मृणाल गोरे, राजेश खन्ना, ए0के0 हंगल, लक्ष्मी सहगल तथा प्रख्यात साहित्यकार दिनेश्वर प्रसाद, गजल गायक मेंहदी हसन, तमिलनाडु एक्सप्रेस में अग्निकांड में मारे गये यात्रियों, उत्तराखण्ड में भू-स्खलन और बादल फटने की घटना, असम में हुई जातीय हिंसा, राजस्थान में वर्षा और बाढ़ तथा पलामू में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति सभा द्वारा शोक-संवेदना प्रकट की गई एवं दो मिनट का मौन रखा गया ।

18. **सभा का स्थगन**

दिनांक	कार्यवाही की अवधि	अन्तराल	स्थगन की अवधि
31.08.2012	11.00 बजे पू0 – 12.00 बजे म0		
03.09.2012	11.00 बजे पू0 – 11.05 पू0	सोमवार को 11.05 बजे पू0	
	12.00 बजे म0 – 12.02 बजे अप0		
	12.35 बजे अप0 – 12.45 बजे अप0		
04.09.2012	11.00 बजे पू0 – 11.20 बजे पू0	मंगलवार को 12.40 बजे अप0 से 02.00 बजे अप0 तक।	
	12.00 बजे म0 – 12.15 बजे अप0		
	12.30 बजे अप0 – 12.40 बजे अप0		
	02.00 बजे अप0 – 02.20 बजे अप0		
	03.00 बजे अप0 – 03.15 बजे अप0		
05.09.2012	11.00 बजे पू0 – 12.45 बजे अप0	बुधवार को 12.00 बजे अप0 से 02.00 बजे अप0 तक।	
	2.00 बजे अप0 – 06.45 बजे अप0		
06.09.2012	11.00 बजे पू0 – 12.55 बजे अप0	बुधवार को 12.55 बजे अप0 से 02.00 बजे अप0 तक।	
	02.00 बजे अप0 – 04.05 बजे अप0		

माननीय अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण के साथ ही दिनांक 31.03.2012 को सभा की कार्यवाही अप0 3.00 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।